# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 16/16

1. तेजमल
2. लक्ष्मण पिसरान हरदेव जाति मीणा निवासी मजरा गुरजाणिया की कॉलोनी ग्राम ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. कैलाश बाई पुत्री हरदेव जाति मीणा निवासी मजरा गुरजाणिया की कॉलानी ग्राम ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमती ग्यारसी बाई विधवा हरदेव जाति मीणा निवासी मजरा गुरजाणिया की कॉलोनी ग्राम ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

**बनाम**

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी बालचन्द
2. बालचन्द आत्मज भंवर लाल जाति स्वर्णकार निवासीगण ग्राम ओवण हाल निवासी ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्रीमती मीरां पत्नी लक्ष्मण जाति मीणा निवासी मजरा गुरजाणिया की कॉलोनी ग्राम ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 09.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ओवण में खसरा नम्बर 2565/2379 रकबा 08 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी श्रीमती गीतादेवी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि की दक्षिणी सीमा पर पूर्व–पश्चिम लम्बी एंव लगभग 05 फीट चौडी एक मेड बनी हुई है जो वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की है । इस मेड के सहारे ही वादीगण ने पश्चिमी दक्षिणी कौने पर कुआ बना रखा है जो सिंचाई के काम आता है । उक्त भूमि के दक्षिणी मेड के बाद दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर

2542/2379 रकबा 05 बीघा है जो प्रतिवादी कम 1 से 4 के खाते में दर्ज है तथा पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 2737/2379 रकबा 03 बीघा है जो प्रतिवादी तेजमल एवं उसकी पत्नी के गैर खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादीगण लडाकू प्रकृति के व्यक्ति हैं और जानबूझकर नाजायज रूप से वादीगण को उनके खाते एवं कब्जे की आराजी में व्यवधान उत्पन्न करते हैं । प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 2565/2379 की पूर्वी तरफ की लगभग 01 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने खाते की उक्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापस पुनः प्राप्त करे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 2565/2379 रकबा 08 बीघा में से पूर्वी तरफ की प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जे में की गई 01 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त खसरा नम्बर की दक्षिणी तरफ की 04 बीघा भूमि पर वादीगण को कृषि कार्य करने दे एवं उनके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे और वादग्रस्त आराजी के किसी भी भू–भाग पर कब्जा नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का कथनर किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 से 04 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.03.2015 को वादी की ओर से साक्ष्य, शपथ पत्र पेश किये जिस पर अपीलान्ट प्रतिवादीगण को जिरह हेतु दिनांक 06.05.2015 की पेशी नियत की तथा दिनांक 06.05.2015 को लोक अदालत में पत्रावली रखे जाने हेतु दिनांक 29.06.2015 नियत की गई । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.11.2015 को अपने वकील साहब से मिलने पर हुई जिस पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 20.11.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । उन्होंने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलान्टगण के खिलाफ पेश किया था । अपीलान्टगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया गया कि वादीगण को मूल खसरा नम्बर 2379 में से आवंटन हुआ है । आवंटन के बाद गलत तरमीम मौके पर कर दी थी । मौके पर कब्जे व नक्शे के अनुसार तरमीम नहीं की गई है । अपीलान्ट द्वारा वादीगण की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है । वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य बताकर वाद पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर शहादत लेकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किये किये जिन पर जिरह के लिए दिनांक 06.05.2015 की तारीख दी गई । दिनांक 29.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत में रखी गई, अपीलान्ट को लोक अदालत की कोई सूचना नहीं दी गई और लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए दावा डिक्री किया है । वादी के गवाह से न तो जिरह हुई है और न ही प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश की गई ळे, कोई राजीनामा भी पेश नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं हुई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । वादीगण के द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था । वादी के खाते की आराजी दक्षिणी सीमा पर 05 फीट चौडी मेड है जो कि वादी के खाते एवं कब्जे की भूमि है । प्रतिवादी वादी के कब्जे एवं वादी के खाते की आराजी के भाग इस मेड पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखा गया था जिसमें पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । रिपोर्ट पटवारी हल्का ली गई है और उसके उपरान्त विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 बहाल रखा जावे।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वादी की साक्ष्य की जिरह में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण और प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी कम 01 तेजमल प्रतिवादी कम 04 ग्यारसीबाई उपस्थित हुए हैं । शेष प्रतिवादीगण की उपस्थिति का

कोई प्रमाण पत्रावली पर संलग्न नहीं है और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादीगण डिक्री किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा